संख्या-283/2026/148 के-2/22-3-2026-17(95)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमित कुमार पुत्र श्री ईश्वरदीन, निवासी जनपद-रायबरेली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19.01.2026), दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमित कुमार पुत्र श्री ईश्वरदीन, जो ग्राम-चंदई चरूहार, थाना-गंदागंज, जनपद-रायबरेली का निवासी है। दिनांक 17.05.2017 को बन्दी द्वारा 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी खुशबू देवी को आग लगाकर जला दिया गया, जिससे खुशबू देवी की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-182/2017, आईपीसी की धारा-498ए, 304बी, 506 व 4 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश-02, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक 08 वर्ष, 04 माह, 10 दिन की अपरिहार तथा 08 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 32 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, कारागार में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 17.05.2017 को बन्दी द्वारा 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी खुशबू देवी को आग लगाकर जला दिया गया, जिससे खुशबू देवी की मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमित कुमार पुत्र श्री ईश्वरदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमित कुमार (बंदी संख्या-103/2024) पुत्र श्री ईश्वरदीन, निवासी जनपद-रायबरेली के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-283/2026/148 के-2/22-3-2026-17(95)/2026

दिनांक 23 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमित कुमार पुत्र श्री ईश्वरदीन, जो ग्राम-चंदई चरूहार, थाना-गंदागंज, जनपद-रायबरेली का निवासी है। दिनांक 17.05.2017 को बन्दी द्वारा 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी खुशबू देवी को आग लगाकर जला दिया गया, जिससे खुशबू देवी की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-182/2017, आईपीसी की धारा-498ए, 304बी, 506 व 4 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश-02, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक 08 वर्ष, 04 माह, 10 दिन की अपरिहार तथा 08 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 32 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, कारागार में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 17.05.2017 को बन्दी द्वारा 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी खुशबू देवी को आग लगाकर जला दिया गया, जिससे खुशबू देवी की मृत्यु हो गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमित कुमार पुत्र ईश्वरदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in